भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 854

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वेतन संरचना

†854. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में चिकित्सकों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्मिकों के लिए उपलब्ध मौजूदा वेतन संरचना और कल्याणकारी उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक के सभी जिलों में भूमिका-वार कुल कितने एनएचएम कर्मी हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान एनएचएम के अंतर्गत कर्नाटक को वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) क्या एनएचएम के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके वेतन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एनएचएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के आधार पर उनकी समग्र संसाधन क्षमता के भीतर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार मध्यम और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों (जिला अस्पताल और उससे निचले स्तर के) में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करके नियमित रूप से मानव संसाधनों को संपूरित करता है। कुल मानव संसाधन (एचआर) बजट का 5% एनएचएम के तहत नियोजित स्वास्थ्य संबंधी सभी मानव संसाधनों (एचआरएच)

की वृद्धि के रूप में अनुमोदित है और एचआर युक्तिकरण के लिए कुल एचआर बजट का 3% अनुशंसित है जिसके भीतर वास्तविक वृद्धि के संबंध में निर्णय लेने का विवेकाधिकार राज्य के पास निहित है। मानव संसाधन युक्तिकरण का कार्य और वेतन वृद्धि सहित इसके सिद्धांतों को राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी शासी निकाय (एसएचएस जीबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एनएचएम 1 अप्रैल 2015 को / के बाद प्रति माह 15000 रुपये से कम या उसके समतुल्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ (नियोक्ता का अंशदान) में 13.36% की दर से अंशदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन (एचआरएच) के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नलिखित पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं:

https://nhsrcindia.org/sites/default/files/2022-04/Final%20Guideline%20on%20 Human %20Resources%20for%20Health%20for%20NHM.pdf

आरओपी 2024-26 में कर्नाटक राज्य के लिए एनएचएम के तहत कुल 28,864 पदों को मंजूरी दी गई है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=61&lid=74

वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2019-20 से 2023-24 तक पिछले पांच वर्षों में एनएचएम के तहत कर्नाटक राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई धनराशि**
1	2019-20	1,173.77
2	2020-21	1,232.19
3	2021-22	1,274.71
4	2022-23	1,246.67
5	2023-24	1,187.60

नोट: जारी की गई उपर्युक्त धनराशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

*****